

कार्यालय नगर परिषद, हिंडौन सिटी, जिला-कोटी (गज.)

प्राप्तिकामन नगरीय देव (कृषि भूमि का गो-कृषि क्षेत्र के लिए नगरीय की भूमि की प्रत्येक)

नियम 2012 के नियम 22 से 90 'क' के लिए भूमि का प्रदान किया गया।



यह विलेख आज तर्फ 2013 के नाम सिविल के 26 अंडिल नगर उक्त क्षेत्र के द्वारा दिया गया है।
मेरी सिटी जिला कोटी (जिले इसके बाद नगर परिषद कालाकर संस्थान किया गया है) उक्त जल तरफ से इस इकाई के लिए नियम 22 के लिए भूमि का प्रदान किया गया है।

नियम 22 के लिए नियम 90 'क' के लिए इसको इसकी बाद लीज धारक क्षेत्र की स्थापित किया गया है। किसी तरफ इस इकाई में जहाँ कहीं प्रदान से वैसे अधिक नियम, उक्त उत्तराधिकारी, नियमक, इकाई, अधिकारी और ग्रुपालियन अतेह भी सम्मिलित होगे) के कानून नियमानुसार हुआ है।

यह विलेख सामान्यानुसार कराया है कि नियमन तथा विकास गुलक की रकम कामय
के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और विकासकी स्वीकार वाला विकास
के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उत्तराधिकारी और कारोतों जो लीज धारक द्वारा नियमानुसार
जारीगये के एवज में नगर नियम के द्वारा लीज धारक को जारी कर द्वारा नियमानुसार
कालाकर संस्थान किया गया है। प्रदान और लीज करती है तो योजना के द्वारा नियमानुसार
के द्वारा संख्या 621 के अंतर्गत 1774-एवं वर्ग गत में नियम है और अपनी लीज और सीधक के साथ इसकी
अन्तर्गत लिखे गये परिवर्तन में अधिक पूर्णतयां वर्णित हैं तथा विकास आकार विशेष रूप से इसमें सामग्री वर्गों में
ग्राम-देवी-ने विद्युत गता है, जिसे पूरी व्यावर्ता समीक्षा वर्गों सहित कियनु नियमानुसार तथा वर्ग विवरण के लिए अपनी अधिक
कानून में लेखा लिया गया है।

1. लीज धारक नगर नियम के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर नियमानुसार-समय पर इस हेतु नियम कर
जैसे प्रदान के अधिकार के प्रधान दिन उक्त भूखण्ड के साथ में नियम दर 75 रुपये प्रति वर्गमील की दर
नियमानुसार 134.50 -। उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत नियमानुसार किये गये
नगरीय नियरारण (शहरी जामानीय या भूमि का विवरण) के तौर पर अदा करेगा, परन्तु लीज धारक यदि वही तो,
एक सारीय नगरीय नियरारण (शहरी जामानीय या भूमि का विवरण) की राशि ज्ञात सर्व कर्ता, जो उक्त वर्ग जिसमें
राशि ज्ञात कराया जाती है, को समीक्षित करते हुए पूर्ण व्यावर्ता नगरीय नियरारण की राशि जो अठ ग्राम के बदलाव
होगी और इस प्रकार 6 वर्ग की लीज राशि 1076.25-रुपया की गयी। नगरीय नियरारण की राशि के फलस्वरूप
लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय नियरारण की राशि के समान के दायित्व से छोट धारत करने का अधिकारी होगा

2. एक बार नियम किया गया नगरीय नियरारण या भूमि का विवरण प्रदानके 15 वर्ष के पश्चात और विकास या दान या
अन्यथा द्वारा ऐसे अन्वयन पर भी पुनरीकान का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रदेश के असर पर ऐसे पुनरीकान या
सम्बन्धित, अन्वयन के समान नगरीय नियरारण या भूमि के विवरण का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि - पट्टाटापुति अधिकारी 99 वर्ष के लिए होगी।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 2013-प्रयोजन नियमके लिए नगर नियम द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत
अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया
जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम -26 के अन्तर्गत बढ़ादी जावै,
लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण करायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्वरिएट नियमन
और सर्व और अन्य उपर्यंग, व्यावरणक परिवर्तन सहित, अन्तरितीया या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो
प्रश्ननगत उक्त भूखण्ड नगर नियम द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है।

लीज धारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अदायारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में घूल पट्टे की
कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विविध सारल अन्य नियमों और शर्तों या किसी भी पृथक
आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इन नियमानुसार विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित
होंगे।

SUB-REGISTRAR
HINDAU.

अधिकारी
प्रयोजन

2013-14
समाप्ति
नियमानुसार

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिक्ष के पदा में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवंटन के साथ रजिस्ट्रीकूर विकाय विलेख, दान विलेख, या बर्मीताय या अन्य सुरक्षात दरतावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक भूखण्ड के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निकाय की जायेगी। परन्तु लौज धारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्राप्तिरह नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय श्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, अन्तरिक / वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्वान् भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लौजधारक से प्रबुल्य होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के नियामन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विषि की दुरियाति या उसके उल्लंघन में कारपूर्ण दरतावेज के आधार पर दुर्व्यवदेशन द्वारा अनिप्रापा विया गया है या उसके आवंटन या पट्टा विलेख के नियामों और शर्तों का अविकाय विया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके विरुद्धी समर्पणात्मक राहिला प्रतिरोधक करेगा जो सभी प्रभारों से रहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को करित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन वीमा निगम/शिड्यूल वैक/सरकार ऋणदात्री संरक्षणात्मक रूप से इसके समर्थ कुर राशि 76.78.8 रुपये नगर परिषद हिण्डोन सिटी में जमा करया दिये गये हैं। और कोई राशि जमा नहीं करायी गई है।

गोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि..... 76.78.8 रुपये वर्गमित्र की पंजीकृत मूल्य राशि

रु. 145.55.5 रुपये होती है। इस प्रकार समर्थ कुर राशि 76.78.8 रुपये नगर परिषद हिण्डोन सिटी में जमा

करया दिये गये हैं। और कोई राशि जमा नहीं करायी गई है।

करये का नाम भू-खण्ड की संख्या 179610 गज
हिण्डोन परिषद विलेख की संख्या 179610 गज
विलेख नाम भू-खण्ड की संख्या 179610 गज
उत्तर दक्षिण योजना का नाम लौजधारक
विलेख नाम लौजधारक खसरा नं. 67/ हिण्डोन
क्षेत्रफल सहित

स्थल
मानवित्र संलग्न
है।

इसके साथी के रूप में इसके फोरिनेन ने इसके बाद प्रत्येक दिवा में निर्देशित तारों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नंगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.13. के माह ७ में १६ दिन

श्री हिण्डोन नगर परिषद हिण्डोन ने निम्न की उपरिविति में हिण्डोन में हस्ताक्षर किये।

साक्षी :-

१. नाम श्री आरम्भुष्ठान लाल साम
पिता/पति का नाम श्री विजय लाल साम
व्यवसाय लाल
निवास स्थान लालपुरी विजयन लाल
२. नाम श्री विजय लाल देव लाल
पिता/पति का नाम श्री विजय लाल साम
व्यवसाय लालपुरी
निवास स्थान लालपुरी विजयन लाल
आज दिनांक सन् 20.7. के माह अमृतगढ़
के २६. वे दिन को निम्नलिखित की उपरिविति में
उक्त श्री द्वानुष्ठान श्री हिण्डोन श्री राजगानीलक्ष्मि,
कार्यालय, नगर परिषद हिण्डोन में हस्ताक्षर किये गये

Sub-Registrar
HINDAUN.

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

SITE PLAN

GHANSHYAM SHARMA SACHIV SHRI RADHA RANI BALJKA SHIKHA
SAMITI DAWRIPAKPURI VARDHMAN NAGAR HINDAUN CITY DISTT.
KALANURAJ KH NO. 4
BLOK AREA 161.46 sq. ft. - 1500 sq. yard - 1794 sq. yard

LAND OF
SRI DYNASTY
PARSHAD

OPEN LAND

PIECE OF
SET QRS
NUMBER

ROAD 60' WIDE

119'-7³/₁₆'
ROAD 30' WIDE

AKHB
BHARTIYA
SCHOOL

ROAD 30' WIDE

HOUSE OF
MR. SUMER SINGH
SH. SATYA PRakash



DR. ASHOK KUMAR
REPRESENTATIVE

CHECKED BY
APPROVED BY

आपुष्मा
विजय लिखन

क्र. ३१०
नं. ४० १५०

